<u>प्रेस नोट जनपद खीरी</u>

<u>दिनाँक 27.02.2023</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयीः-

<u>पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी द्वारा थाना मैगलगंज, थाना पसगवां व थाना मोहम्मदी का आकस्मिक निरीक्षण किया गया</u>

आज दिनांक 27.02.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा द्वारा थाना मैगलगंज, थाना पसगवां व थाना मोहम्मदी का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान सम्पूर्ण थाना परिसर का भ्रमण कर थाना कार्यालय, मालखाना, हवालात, मेस, बैरक, कम्प्यूटर कक्ष आदि का निरीक्षण कर रजिस्टर्स/अभिलेखों के व्यवस्थित रख-रखाव तथा उन्हें अद्यावधिक रखने हेतु निर्देशित किया गया। मालखाने में माल मुकदमाती के व्यवस्थित रख-रखाव तथा नियमानुसार माल का विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिए गए। जनसुनवाई से सम्बन्धित शिकायती प्रार्थना पत्र के निस्तारण की समीक्षा की गई व महिला हेल्प डेस्क की समीक्षा करते हुए महिला पुलिस कर्मियों को फरियादियों से अच्छे व्यवहार करने व उनकी समस्याओं को सुनकर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु दिशा-निर्देश दिए गए एवं प्रत्येक जनशिकायत का फीडबैक स्वयं प्रभारी निरीक्षक को करने के लिए निर्देशित किया गया। पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान साफ-सुथरी एवं निर्धारित वर्दी धारण करने हेतु भी निर्देशित किया गया। आगामी त्यौहारों होली व शब-ए-बारात के दृष्टिगत शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं पीस कमेंटी की मीटिंग आयोजित करके त्यौहारों को आपसी प्रेम व सौहार्द के साथ मनाने की अपील करने हेतु निर्देशित किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी द्वारा थाना उचौलिया परिसर में थानाध्यक्ष कक्ष का उद्घाटन किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन में जनपद खीरी के समस्त थानों में नवनिर्मित भवन/कक्षों व पुराने कक्षों के सुन्दरीकरण का कार्य निरन्तर चल रहा है। इसी क्रम में थाना उचौलिया परिसर में थानाध्यक्ष कक्ष का सुन्दरीकरण किया गया है। आज दिनांक 27.02.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा थाना उचौलिया परिसर में थानाध्यक्ष कक्ष का उद्घाटन किया गया। इस दौरान महोदय द्वारा सम्पूर्ण थाना परिसर का भ्रमण करते हुए सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिये गए।

<u>थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा मन्दिरो व अन्य भीड-भाड वाले स्थानो पर महिलाओ के साथ लूट व चोरी करने वाले गिरोह का भण्डाफोड करते हुए उक्त गैंग की 02 महिलाओ को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से सोने की जजीर, मोबाइल आदि बरामद किया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवे़क्षण में जनपद खीरी में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेत चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना कोतवाली सदर पर श्रीमती आशादेवी पत्नी तेजनरायण निवासी बारी थाना धौरहरा जनपद खीरी की तहरीर पर बाबत अज्ञात महिलाओ द्वारा वादिनी सोने की चैन छीन लेने के सम्बन्ध मे मु0अ0स0 180/20223 धारा 392 भादवि बनाम अज्ञात के पंजीकृत होकर विवेचना म0उ0नि0 श्री साधना यादव चौकी प्रभारी मिश्राना के सुपुर्द हुई म0उ0नि0 साधना यादव व उनकी टीम द्वारा अभियोग पंजीकृत होने के मात्र 03 घण्टो के अन्दर घटना का सफल अनावरण करते हुए दिनांक 26.02.2023 को समय रात्रि 10.00 बजे 02 महिलाओ को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित लूटी गयी सोने की चैन, 01 अदद मोबाइल, आधार कार्ड, 02 एटीम कार्ड व 500 रुपये नगद बरामद किया गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम पता</u>

1.पूजा उर्फ आचल रावत पत्नी अर्पित रावत निवासी मोहल्ला मास्टर बाग थाना कमलापुर जनपद सीतापुर

2.रामदेवी पत्नी विशाल राजवंशी निवासी निवासी मोहल्ला मास्टर बाग थाना कमलापुर जनपद सीतापुर

<u>गिरफ्तार अभियुक्त गणो के कब्जे से बरामदगी का विवरण</u>

1- सोने की चैन 01 वजन 18.450 ग्राम – कीमत करीब 120000/- रुपये

2- मोबाइल ओपो – 01 अदद

3-आधार कार्ड – 01 अदद
4-इनरोलमेन्ट स्मार्ट कार्ड – 01 अदद
5-एटीम विभिन्न बैंको के – 02 बैंको
6-नगद रुपये - 500

गिरफ्तार अभियुक्त गणों के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग
1.मु0अ0स0 180/2023 धारा 392/411 भादवि

गिरफ्तारी शामिल पुलिस टीम
1.म0उ0नि0 साधना यादव चौकी प्रभारी मिश्राना कोतवाली सदर खीरी
2.उ0नि0 चन्द्र प्रकाश तिवारी कोतवाली सदर खीरी
3.का0 राहुल सोनकर कोतवाली सदर खीरी
4.म0का0 आरती यादव कोतवाली सदर खीरी
5.म0का0 नीलम सांगवान कोतवाली सदर खीरी
6.म0का0 संगीता सैनी कोतवाली सदर खीरी

<u>थाना भीरा पुलिस द्वारा, शातिर गोकश अपराधी रहमत पुत्र सिद्दीक के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत की गई कार्यवाही, लगभग 07 लाख 56 हजार रूपये की संपत्ति की गई जब्त</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी पुलिस द्वारा अपराध की रोकथाम व शातिर अपराधियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही निरंतर की जा रही है। इसी क्रम में खीरी पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत अपराध से अर्जित की गयी संपत्ति को कुर्क कर जब्तीकरण की कार्यवाही निरंतर रूप से की जा रही है। आज दिनांक 27.02.2023 को थाना भीरा पुलिस एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा थाना भीरा क्षेत्र निवासी शातिर गोकश अपराधी रहमत पुत्र सिद्दीक नि0ग्राम भानपुर थाना भीरा जनपद खीरी के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए अपराध कारित कर अवैध रुप से अर्जित की गई लगभग 07 लाख 56 हजार रूपये कीमत की संपत्ति जिसमें शामिल है, जब्त किया गया।

<u>अभियुक्त का विवरण-</u>
रहमत पुत्र सिद्दीक नि0ग्राम भानपुर थाना भीरा जनपद खीरी

<u>कुर्क की गयी सम्पत्ति का विवरण –</u>
अभियुक्त की भानपुर बाजार में सड़क पर दो दुकानों व बाउण्ड्री जिसकी अनुमानित मुल्य 7,56,000/- रूपये है।

<u>कुर्क करने वाली टीम-</u>
1. श्री आशीष सिंह (तहसीलदार) पलिया
2. श्री राजेश कुमार क्षेत्राधिकारी, गोला
3. प्रभारी निरीक्षक विमल गौतम, थाना भीरा मय पुलिस बल

थाना मितौली पुलिस द्वारा, 03 नफर वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे है अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 27.02.2023 को थाना मितौली पुलिस द्वारा 03 नफर वांछित अभियुक्तों वाद सं0 24131-21 राज्यप्रति मंगू धारा- 323/504/506 भादवि ,अ0सं0 67/16 के वांछित अभियुक्तगणों 1.पहाडी पुत्र बुद्धा उम्र 67 वर्ष 2.कन्धई पुत्र तौले उम्र 68 वर्ष 3.मंगू पुत्र जयराम उम्र 56 वर्ष सर्व नि0गण समरसेपुर थाना मितौली जनपद खीरी को ग्राम समरसेपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. पहाडी पुत्र बुद्धा नि0 समरसेपुर थाना मितौली जनपद खीरी
2. कन्धई पुत्र तौले नि0 समरसेपुर थाना मितौली जनपद खीरी
3. मंगू पुत्र जयराम नि0 समरसेपुर थाना मितौली जनपद खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 आलोक कुमार धीमान, थाना मितौली
2. उ0नि0 शिवकुमार
3. हे0का0 अमरेश चौधरी

<u>थाना भीरा पुलिस द्वारा,01 नफर जिला बदर अभियुक्त शौकत अली पुत्र साहबदीन को गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 27.02.2023 को क्षेत्राधिकारी गोला महोदय के कुशल मार्गदर्शन में थाना भीरा पुलिस टीम द्वारा 01 नफर जिला बदर अभियुक्त शौकत अली पुत्र साहबदीन निवासी ग्राम रडा बाजार थाना भीरा जनपद खीरी को बहदग्राम रडा बाजार से गिरफ्तार किया गया तथा गिरफ्तार शुदा अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 81/2023 धारा 10 UP G Act पंजीकृत कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-</u>
शौकत अली पुत्र साहबदीन निवासी ग्राम रडा बाजार थाना भीरा जनपद खीरी

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-</u>
1.उ0नि0 परितोष पाण्डेय, थाना भीरा
2.आ0 प्रभात कुमार, थाना भीरा
3.आ0 सत्यम शर्मा, थाना भीरा
4.आ0 सतेन्द्र कुमार, थाना भीरा

थाना फरधान पुलिस द्वारा, 01 नफर वारंटी अभियुक्त अनिल कुमार गुप्ता को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 27.02.2023 को थाना फरधान पुलिस टीम द्वारा अ०सं० 343/10 धारा 306/504 भादवि से संबंधित वारंटी अभियुक्त अनिल कुमार गुप्ता पुत्र रामकुमार गुप्ता निवासी पिपरिया अन्डू थाना फरधान जनपद खीरी को गिरफ्तार करके अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अनिल कुमार गुप्ता पुत्र रामकुमार गुप्ता निवासी पिपरिया अन्डू थाना फरधान जनपद खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ०नि० संजीव कुमार तोमर
2.हे०का० अरविन्द कुमार

थाना ईसानगर पुलिस द्वारा, गैंगस्टर एक्ट में वांछित 03 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेत चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 27.02.2023 को थाना ईसानगर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 59/23 धारा 2(ख)2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट में वांछित 03 नफर अभियुक्तों 1.शंकर भार्गव पुत्र स्व0 सुर्जलाल 2.विष्णु निषाद पुत्र स्व0 जगदम्बा 3.रामभजन पुत्र नेकराम नि0गण ग्राम मांझा सुमाली मजरा चकदहा थाना ईसानगर जनपद खीरी को मुखबिर की सूचना पर ग्राम हसनपुर कटौली बाजार से गिरफ्तार करके अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय भेजा गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-</u>

1.शंकर भार्गव पुत्र स्व0 सुर्जलाल
2.विष्णु निषाद पुत्र स्व0 जगदम्बा
3.रामभजन पुत्र नेकराम नि0गण ग्राम मांझा सुमाली मजरा चकदहा थाना ईसानगर जनपद खीरी

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1.उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार सिंह, थाना ईसानगर
2.उ0नि0 सुनील कुमार तिवारी, थाना ईसानगर
3.हे0का0 तिलेश्वर सिंह यादव, थाना ईसानगर
4.का0 शिवचंद यादव, थाना ईसानगर

<u>अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही, विगत 24 घंटे में 165 लीटर अवैध शराब बरामद कर 12 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटे में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **<u>165 लीटर</u>** अवैध कच्ची शराब बरामद कर **<u>12 अभियुक्तों</u>** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **<u>12 अभियोग</u>** पंजीकृत किए गए।